धर्मांतरण विरोधी विधेयक

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने **गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 पेश किया,** जिसका उद्देश्य **बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम द्वारा** धर्मांतरण को रोकना है।

- विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिये **10 वर्ष तक के कारावास** और **50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।**

मुख्य बिंदु

- **अनुमोदन और उद्देश्य:**
  - नवंबर 2024 में, **राज्य मंत्रिमंडल ने विधेयक के मसौदे को मंज़ूरी दी,** जिसका उद्देश्य राज्य के कुछ क्षेत्रों में **"लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं" को रोकना था।**
    - 'लव जिहाद' शब्द का तात्पर्य मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं से विवाह कर उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने से है।
- **विधेयक के प्रावधान:**
  - राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने विधेयक पेश किया, जो अपराधों को **संज्ञेय, गैर-जमानती और अदालत में सुनवाई योग्य बनाता है।**
  - विधेयक गलत बयानी, बल, दबाव, प्रलोभन, धोखाधड़ी या विवाह के माध्यम से **धर्मांतरण को अपराध मानता है।**
  - धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्तियों को कम से कम 60 दिन पहले ज़िला मजिस्ट्रेट को घोषणा-पत्र देना होगा।
- **विधेयक के पीछे तर्क:**
  - विधेयक के अनुसार, जहाँ अन्य राज्यों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर कानून हैं, वहीं राजस्थान में ऐसा कोई कानून नहीं है।
  - विधेयक का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को धर्मांतरण को रोकने की आवश्यकता के साथ संतुलित करना है, जो धर्मनिरपेक्षता को दुर्बल कर सकता है।

धार्मिक रूपांतरण

- धार्मिक रूपांतरण **एक विशेष धार्मिक संप्रदाय से संबंधी मान्यताओं को अपनाना** है, जिसमें अन्य को शामिल नहीं किया जाता।
- इस प्रकार "धार्मिक रूपांतरण" से तात्पर्य **एक संप्रदाय के प्रति निष्ठा को त्यागकर** दूसरे संप्रदाय से सम्बद्ध होना होगा।
  - उदाहरण के लिये, ईसाई बैपटिस्ट से मेथोडिस्ट या कैथोलिक, मुस्लिम शिया से सुन्नी।
- कुछ मामलों में, धार्मिक रूपांतरण **"धार्मिक पहचान में परिवर्तन का प्रतीक है** और विशेष अनुष्ठानों द्वारा इसका प्रतीक है"।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/anti-conversion-bill-1